राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1978/2025

शिवजी राम कटारिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कृषि विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
3. आयुक्त, उद्यान विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, कृषि प्रशासन, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव कृषि (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रामकुंवार जाट, संयुक्त निदेशक, कृषि कार्यालय संयुक्त निदेशक (उद्यान), सीकर खण्ड, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.02.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1994 में कृषि अधिकारी के पद पर हुई थी। अपीलार्थी विभिन्न जगह पदस्थापित रहा है। अपीलार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक आलोच्य आदेश दिनांक 07.02.2025 जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी के वेतन का आहरण संयुक्त निदेशक कृषि (वि.), जि.प. पाली के रिक्त पद पर आहरित करने की स्वीकृति जारी की गई एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 के वेतन का आहरण संयुक्त निदेशक, उद्यान खण्ड, सीकर से आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि संयुक्त निदेशक, उद्यान खण्ड सीकर से अपीलार्थी के वेतन का आहरण किया जा रहा था। लेकिन विभाग द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 6 का वेतन का आहरण अपीलार्थी के स्थान से कर दिया गया है, जो कि अवैध एवं मनमाना है। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 20.02.2024 को पदस्थान/स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का स्थांनतरण उप निदेशक उद्यान, अजमेर से संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड सीकर में पदोन्नती उपरांत रामकुंवार जाट के स्थान पर किया गया। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 22.02.2024 को स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 6 रामकुंवार जाट का स्थानान्तरण संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जि.प. खैरथल स्थानान्तरणाधीन को संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जि.प. धौलपुर में किया गया। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 6 का नाम कम संख्या 64 पर अंकित है।

(अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थी संख्या 6 के द्वारा अधिकरण जयपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई, जिसका अपील संख्या 667/2024 है। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं 22.02.2024 को चुनौती दी गई, जिसमें अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है, जिसमें अधिकरण द्वारा दिनांक 22.02.2024 के आदेश की क्रियान्वयन को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था। जिससे अपीलार्थी का स्थानान्तरण संयुक्त निदेशक कृषि (विपणन) जिला परिषद खैरथल स्थानान्तरणाधीन से संयुक्त निदेशक कृषि (विपणन) जिला परिषद धौलपुर में किया गया था। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी विभाग (वरिष्ठ शासन उप सचिव) द्वारा दिनांक 21.03.2024 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण आदेश द्वारा दिनांक 20.02.2024 के अनुसरण में दिनांक 21.02.2024 को कार्यग्रहण कर लिया गया था। जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि उक्त आदेश की पालना में शिवजीराम कटारिया द्वारा दिनांक 21.02.2024 को संयुक्त निदेशक, उद्यान खण्ड, सीकर के पद पर कार्यग्रहण किये जाने एवं उक्त पद पर (कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्त होने हेतु) सक्षम प्राधिकारी होने की दृष्टिगत श्री रामकुमार जाट स्वतः ही स्थानान्तरणाधीन समझे जायेगे। अतः अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 में उल्लेखित आदेश दिनांक 22.02.2024 की पूर्व में ही रामकुंवार जाट स्थानान्तरणाधीन थे, के दृष्टिगत यह स्पष्ट किया जाता है कि संयुक्त निदेशक उद्यान खण्ड, सीकर के समस्त पदीय दायित्व का निर्वहन श्री शिवजीराम कटारिया द्वारा सम्पादित किया जावेगा। (अनुलग्नक–5) प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के समक्ष एक दूसरी अपील प्रस्तुत की गई, जिसका अपील संख्या 3434/2024 है, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 27.11.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 6 के संबंध में वेतन के आहरण के संबंध में वर्तमान पदस्थापन स्थान से वेतन का भुगतान करने के आदेश जारी किये गये। आदेश दिनांक 27.11.2024 की प्रति प्रदर्श 6 के रूप में संलग्न है।प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष दो स्थानान्तरण आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 6 के स्थगन आदेश में दिनांक 22.02.2024 के आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी को खैरथल से धौलपुर स्थानान्तरण किया गया था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थगन आदेश दिनांक 22.02.2024 के स्थगित हो जाने से प्रत्यर्थी संख्या 6 का वेतन का भुगतान खैरथल से किया जाना था लेकिन विभाग द्वारा मनमानी करते हुए अपीलार्थी का वेतन का भुगतान संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जि.प. पाली जिले के रिक्त पद से कर दिया गया है एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 के वेतन का भुगतान संयुक्त निदेशक, उद्यान, खण्ड सीकर से कर दिया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 07.02.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं इस आदेश की पालना में अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान संयुक्त निदेशक, उद्यान खण्ड सीकर में कार्यरत रखा जावे एवं माह दिसम्बर, 2024 से लागतार वेतन का आहरण संयुक्त निदेशक, उद्यान खण्ड सीकर से कर से करवाए जाने के निर्देश दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 07.02.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गई है। जिसके द्वारा निजी प्रत्यर्थी राजकुमार जाट का मार्च, 2024 से नवम्बर, 2024 तक धौलपुर से और दिसम्बर, 2024 से आगे का वेतन सीकर प्राप्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। और अपीलार्थी का वेतन माह दिसम्बर, 2024 से अग्रिम महीनों का वेतन संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद पाली से प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। हम यह पाते है कि आलौच्य आदेश अधिकरण द्वारा अपील संख्या 667/2024 एवं 3434/2024 में पारित निर्णय के अवलोकन में जारी किया गया है। अपील संख्या 667/2024 में निजी प्रत्यर्थी राजकुमार जाट का संयुक्त निदेशक, उद्यान खण्ड सीकर से संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद धौलपुर में किए स्थानान्तरण का क्रियान्वयन स्थगित किया गया है और अपील संख्या 3434/2024 में निजी प्रत्यर्थी राजकुमार जाट वर्तमान पदस्थापन स्थान से वेतन भुगतान किए जाने के निर्देश जारी किए गए है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलों में जारी आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने संबंधी कोई कथन नहीं किया है और न ही कोई दस्तावेज अपील में प्रस्तुत किया गया है। अतः आलौच्य आदेश अधिकरण द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य